न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 5/2018 जिला दौसा

नोरत्या मीना पुत्र भौर्या मीना, उम्र 60 साल, जाति मीना, निवासी ग्रम राजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)
2. गेखली पुत्री गणेश, जाति मीना, निवासी राजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 30.10.2017 बाबत नामांतरकरण संख्या 158 ग्रम पंचायत शिवसिंहपुरा दिनांक 5.2.2004

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आलोक चौधरी
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 16.10.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.10.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम राजपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 02.08 बीघा, खसरा नम्बर 171 रकबा 3.19 बीघा, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 9.16 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 201 रकबा 1.10 बीघा कुल किता 7 रकबा 17.18 बीधा में से 1/2 हिस्से का खातेदार गणेश पुत्र बीरबल था । खातेदार गणेश पुत्र बीरबल के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 158 पटवारी हल्का द्वारा गेखली पुत्री गणेश के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत शिवसिंहपुरा द्वारा दिनांक 5.2.2004 को प्रस्ताव संख्या 13 के अनुसार गेखली पुत्री गणेश हिस्सा 1/2 व नोरत्या पुत्र भौर्या कौम मीना हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार गणेश की पुत्री गेखली द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 5.6.17 से पटवारी हल्का द्वारा मृतक गणेश की विरासत उसकी पुत्री गेखली के पक्ष में दर्ज की थी, परन्तु नामांतरकरण को निर्णित करते समय प्रस्ताव संख्या 13 में ग्रम पंचायत द्वारा गणेश पुत्र बीरबल मीना की विरासत गेखली पुत्री गणेश हिस्सा 1/2 , नोरत्या पुत्र भौर्या कौम मीना हिस्सा 1/2 स्वीकार किया है । विरासत में नोरत्या पुत्र भौर्या के नाम विरासत खोलने का कोई कारण दर्शित नहीं करने से उक्त तथ्यों से स्पष्ट माना है कि मृतक गणेश पुत्र बीरबल का उत्तराधिकार विवादास्पद है जिसकी जॉच राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट द्वारा की जानी चाहिये थी, जो नहीं किये जाने से नामांतरकरण संख्या 158

निरस्त करते हुये प्रकरण को तहसीलदार लालसोट को सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान भू राजस्थन अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत जॉच कर पुनः विधिसंगत नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 5.6.17 पर पुर्नविचार करने हेतु अपीलान्ट नोरत्या पुत्र भौर्या द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष दिनांक 19.7.2017 को एक प्रार्थना पत्र पुर्नविचार (रिव्यू) मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उप खण्ड अधिकारी ने दिनांक 19.7.2017 को आदेश पारित कर नामांतरकरण की अपील में पारित आदेश दिनांक 5.6.17 की कियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित किये जाने हेतु तहसीलदार लालसोट को पाबन्द किया गया । इसके पश्चात् उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने आदेश दिनांक 11.9.2017 से स्थगन आदेश दिनांक दिनांक 19.7.17 को रिकोल किये जाने के आदेश दिये जाकर प्रकरण में वास्ते बहस दिनांक 5.10.17 नियत की गई ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 5.6.17 की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2017 पारित पर गणेश की विरासत का उसकी जायन्दा पुत्री गैखली पत्नी बदरी मीना नि. जैतपुरा, तहसील बोली के नाम निर्णित की गई तथा तहसीलदार ने उक्त निर्णय के अनुसार नामांतरकरण संख्या 158 मृतक गणेश की जायन्दा पुत्री गैखली के नाम स्वीकार किया है ।

तहसीलदार लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 30.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट नोरत्या पुत्र भौर्या द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 31.1.2018 को प्रस्तुत कर तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 को निरस्त कर नामांतरकरण की कार्यवाही को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट में विचाराधीन नामांतरकरण अपील उनवानी गैखली बनाम नोरत्या के अंतिम निर्णय तक स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार गणेश की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 5.2.2004 पारित कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 गैखली व अपीलान्ट नौरत्या के नाम स्वीकार किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की अपील उप खण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा निर्णय दिनांक 5.6.17 से नामांतरकरण संख्या 158 निरस्त करते हुये प्रकरण को तहसीलदार लालसोट को सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत जॉच कर पुनः विधिसंगत नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के तहत तहसीलदार ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा रेस्पोंडन्ट संख्या 2 गैखली से सांठ गांठ कर विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.10.2017 पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने न तो ग्रम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 13 बाबत किसी प्रकार की जॉच की ना ही प्रस्ताव को तलब किया । उप खण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलान्ट का पुर्नविचार प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन आदेश की

जानकारी अपीलान्ट को होने पर यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा उप खण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय में विचाराधीन नामांतरकरण की अपील के अंतिम निर्णय तक नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार गणेश की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा गणेश की पुत्री गैखली के नाम भरा गया था , लेकिन ग्रम पंचायत ने गैखली के साथ अपीलान्ट नोरत्या पुत्र भौर्या के नाम भी तस्दीक कर दिया, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय द्वारा खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया था । तहसीलदार लालसोट ने सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2017 द्वारा गणेश की विरासत उसकी जायन्दा पुत्री गैखली के नाम निर्णित की गई, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार गणेश की विरासत के नामांतरकरण का है । मृतक खातेदार गणेश की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 5.2.2004 रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 गैखली पुत्री गणेश व अपीलान्ट नौरत्या पुत्र भौर्या के नाम 1/2–1/2 हिस्से का ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 गैखली पुत्री गणेश की अपील उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने निर्णय दिनांक 5.6.2017 से नामांतरकरण संख्या 158 निरस्त करते हुये प्रकरण को तहसीलदार लालसोट को सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत जॉच कर पुनः विधिसंगत नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया था । अपीलांट के प्रार्थना पत्र पुर्नविचार (रिव्यू) मय स्थगन प्रार्थना पर उप खण्ड अधिकारी ने दिनांक 19.7.2017 को आदेश दिनांक 5.6.17 की क्रियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई तथा आदेश दिनांक 11.9.17 द्वारा दिनांक 19.7.17 को जारी स्थगन आदेश को रिकोल किये जाने के आदेश दिये जाकर प्रकरण में वास्ते बहस दिनांक 5.10. 17 नियत की गई । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 5.6.17 की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2017 पारित पर गणेश की विरासत का नामांतरकरण संख्या 158 गैखली पुत्री गणेश के नाम स्वीकार किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि रेस्पोंडेन्ट गैखली विवादित भूमि के खातेदार गणेश की पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में गणेश की विधिक वारिस है ओर तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन आदेश से गणेश की विधिक वारिस उसकी पुत्री रेस्पोंडेन्ट गैखली को मानते हुये नामांतरकरण संख्या 158 गैखली पुत्री गणेश के नाम तस्दीक किया है , जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अपीलान्ट नोरत्या पुत्र

भौर्या का यदि मृतक खातेदार गणेश की भूमि में कोई हक हकूक बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय से तय कराने के लिये स्वतंत्र है । अतः अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 30.10.2017 उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 16.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर